

# १

## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला -176213

कमांक : हि० शि० वो० (३९) / ११६वीं बोर्ड बैठक / मद संख्या १८(०१)-१९१३-६२ दिनांक : ०५.१०.२०२०

hen  
6-10-20

### "अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि बोर्ड ने ११६वीं बैठक दिनांक २९.०८.२०२० की मद संख्या १८(०१) के अन्तर्गत शैक्षणिक समिति की सिफारिश पर ऐसे परीक्षार्थियों, जो CBSE या अन्य समकक्षता/मान्यता प्राप्त बोर्डों से दसवीं कक्षा की परीक्षा Basic Mathematics सहित उत्तीर्ण कर दिए हैं। इन परीक्षार्थियों को इसी बोर्ड में जमा एक कक्षा में गणित परीक्षा सहित दाखिला लेना चाहते हैं, के लिए हिंदू प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा विनियम १९९४ के नियम संख्या ४.२(२)(i) में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार से है।

Existing Rule	Approved Rule
४.२(२)(i) has passed the Matriculation examination of the Board or an equivalent examination from a recognized Board / University at least one year earlier than the year in which he would take 10+1 examination with English, Mathematics and Hindi subjects, and is on the active rolls of Ten Plus One class.	४.२(२)(i) has passed the matriculation examination of the Board or an equivalent examination from a recognized Board/University at least one year earlier than the year in which he would take 10+1 examination with English, Mathematics and Hindi subjects, and is on the active rolls of Ten Plus One class. The candidate who passed Matriculation examination with Mathematics-Basic shall only be eligible for Plus One examination with Mathematics if he qualifies the Mathematics-Standard/Mathematics subject before or simultaneous of Plus One examination.

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-१  
Tel: ०१७७२६५३१२० Extn. २३४, Fax: २८१२८८२, email: dhe-sml-hp@gov.in

पृष्ठांकन संख्या—शिक्षा—उच्चतर शिक्षा(२)एफ(१८)३०/२०२०—वी  
प्रतिलिपि रूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक ०५.१०.२०२०

अक्टूबर, २०२०

१ सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, को अधिसूचना संख्या: हि० शि० वो० (३९) / ११६वीं बोर्ड बैठक / मद १८(०१) -१९१३-६२ दिनांक ०५-१०-२०२०, के रान्दर्भ में।

२ समरत उप-शिक्षा निदेशक(उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, को बोर्ड से प्राप्त अधिसूचना की प्रति को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में अधीनस्थ समरत स्कूलों को प्रेषित करने तथा सभी सम्बन्धित पक्षों के ध्यान में लाने हेतु।  
३ अधीक्षक, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, को बोर्ड से प्राप्त अधिसूचना की प्रति को विगारीय बैबसाइट पर अपलोड करने वारे।  
४ रक्षक नहिं।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

(ज्ञा० प्रमात्र वोहान),  
अतिरेका शिक्षा निदेशक (यहाँ),  
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

23 OCT 2020